**<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>**

**फा. सं. 07/11/2023-डीजीटीआर**

**भारत सरकार**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

**वाणिज्य विभाग**

**व्यापार उपचार महानिदेशालय**

**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001**

**दिनांक:** 25 नवंबर 2023

**<u>अंतिम जांच परिणाम</u>**

**<u>मामला सं. ए.डी (एसएसआर)-05/2023</u>**

**विषय: मलेशिया से टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच ।**

**फा. सं. 7/11/2023** - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली या एडी नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

**क. पृष्ठभूमि**

1. मै. बोरोसिल रेनेवेबल्स लिमिटेड (जिसे यहां आगे ''घरेलू उद्योग'' अथवा ''आवेदक'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार, मलेशिया (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित **"**टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड और अनकोटेड ग्लास**"** (जिसे यहां आगे **"**संबद्ध वस्तु**"** अथवा **"**विचाराधीन उत्पाद**"** या **"**पीयूसी**"** भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे **"**प्राधिकारी**"** भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. आवेदक ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना

का आरोप लगाया है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने तथा बढ़ाने का अनुरोध किया है ।

3. अधिनियम की धारा 9क (5) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो वह इसे लागू करने की तारीख से 5 वर्षों की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाता है और प्राधिकारी के लिए यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति की संभावना है । उक्त के अनुसार प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से एक विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटनऔर क्षति के जारी रहने या उनकीपुनरावृति होने की संभावना है ।

4. नियमावली के नियम 23(1ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैः

*"..... अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक निष्प्रभावी हो जाएगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है।"*

5. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से दायर पाटन और क्षति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य वाले साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 7/11/2023-डीजीटीआर (एडी- एसएसआर सं. 05/2023) दिनांक 19.09.2023 के माध्यम से वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की थी ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या उक्त शुलक की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृति की संभावना है और क्या मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता है ।

6. पूर्व में प्राधिकारी ने 5.2.2018 को मलेशिया से संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की थी और जांच करने के बाद अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना

सं. 6/45/2017-डीजीएडी दिनांक 17.01.2019 के माध्यम से शुल्क लगाने की सिफारिश की । प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 12/2019-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 26.02.2019 के माध्यम से निम्ननिलखित निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था ।

| क्र.सं. | उत्पादक | यूओएम | राशि (अम.डॉ. में) |
|---|---|---|---|
| 1 | मै. जिनयी सोलर एसडीएन.बीएचडी. मलेशिया | अम.डॉ./ मी.ट. | 0 |
| 2 | मै. जिनयी सोलर एसडीएन.बीएचडी. मलेशिया के अलावा कोई उत्पादक | अम.डॉ./ मी.ट. | 114.58 |

7. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध वसतु से संबंधित पूर्वोक्त मूल जांच के सभी पहलू शामिल हैं ।

**ख. <u>उत्पादक</u>**

8. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

i. प्राधिकारी ने मलेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों से संबंधित जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 19.9.2023 की एक अधिसूचना जारी की ।

ii. प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना की एक-एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, मलेशिया से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलबध कराए गए पतों के अनुसार भेजी थी और उनसे ए डी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरूआत अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर अपने विचारों से लिखित में अवगत कराने का अनुरोध किया था । सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा 25.10.2023 तक बढ़ाई गई थी ।

iii. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति उपलब्ध कराई ।

iv. भारत में मलेशिया के दूतावास से मलेशिया के निर्यातकों/उत्पादकों को विहित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह देने का अनुरोध भी किया गया था। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और पश्नावली की एक प्रति मलेशिया के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पतों के साथ दूतावास को भी भेजी गई थी ।

v. हितबद्ध पक्षकारों से नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार, विहित ढंग और तरीके से संगत सूचना प्रस्तुत करने और विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था ।

vi प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार, संगत सूचना मंगाने के लिए मलेशिया के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों /निर्यातकों को, जिनके ब्यौरे आवेदक ने दिए थे, प्रश्नावली भेजी थी ।

क. जिनयी सोलर मलेशिया एसडीएन.बीएचडी.

ख. गार लाइटग्लास एसडीएन. बीएचडी

vii. इसके उत्तर में केवल जिनयी सोलर मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है ।

viii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता एसोसिएशनों, जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे**,** को जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी थी और उन्हें नियम 6(4) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विहित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगतकराने की सलाह दी थी ।

क. मुंद्रा सोलर पीवी लिमिटेड

ख. स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड

ग. प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड

घ. रिन्यूसिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

ड. गोल्डी सोलर प्राइवेट लिमिटेड

च. वारी एनर्जीज़ लिमिटेड

छ. एल्पेक्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

ज. विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड

झ. टॉपसन एनर्जी लिमिटेड

ञ. टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड

ट. एम्मी फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड

ठ. नेविटास ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

ड. सोवा पावर लिमिटेड

ix. किसी भी प्रयोक्ता/अयातक/उपभोक्ता ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है ।

x. ऐसे निर्यातक/विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है या इस जांच से संगत सूचना नहीं दी है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना जाना प्रस्तावित है ।

xi. प्राधिकारी ने मलेशियाई दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की थी । घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है ।

xii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी । संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है । जहां संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था ।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तरों, अनुरोधों और साक्ष्य के अगोपनीय अंश को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ शेयर करने के लिए कहा गया था ।

xiv. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 महीने) की है । वर्तमान जांच के लिए क्षति अवधि 1 अप्रैल,2019 - 31

मार्च,2020, 1 अप्रेल, 2020- 31 मार्च,2021, 1 अप्रैल 2021-31 मार्च, 2022 और पी ओ आई की अवधि है ।

xv. आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से आवश्यक समझी गई सीमा तक अतिरिक्त / पूरक सूचना मांगी गई थी । घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त आंकड़ों का इस जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था ।

xvi. क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और ए डी नियमावली के अनुबंध-।।। के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित उत्पादन लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत पर आधारित है। इसे इसलिए ज्ञात किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

xvii. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) और डी जी सिस्टम्स, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों से सौदावार ब्यौरे प्रदान करने का अनुरोध किया गया था । इस पर विनिर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातों की मात्रा को आयातों की मात्रा और मूल्य से सह-संबंधित करते हुए उसकी गणना के लिए भरोसा किया गया है और व्यवहार्य सीमा तक प्रस्तुत उत्तर का सत्यापन किया गया है ।

xviii. नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 03.11.2023 को हुई मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया । इसमें जिसमें हितबद्ध पक्षकारों ने भाग लिया था । मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले सभी पक्षकारों से लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । लिखित अनुरोधों के अगोपनीय अंश को दिनांक 6.11.2023 के ई-मेल द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था और उन्हें 8.11.2023 तक खंडन अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था ।

xix. जहां कहीं भी किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना देने से मना किया है या अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह प्रकटन विवरण दर्ज किया है ।

xx प्राधिकरण ने 18 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों वाले सभी इच्छुक पक्षों को प्रकटीकरण विवरण जारी किया। इच्छुक पक्षों को 22 नवंबर 2023 तक प्रकटीकरण बयान पर अपनी टिप्पणी दायर करने का निर्देश दिया गया था।

xxi प्राधिकरण ने इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों की उस हद तक जांच की है जिसे प्रासंगिक माना जाता है। कोई प्रस्तुतिकरण जो केवल पूर्व प्रस्तुतिकरण का पुनरुत्पादन था और जिसकी प्राधिकरण द्वारा इन अंतिम निष्कर्षों में पर्याप्त रूप से जांच की गई थी और जिसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

xxii. प्राधिकरण ने उठाए गए सभी तर्कों और इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया है, इस हद तक कि वे साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक मानी जाती हैं।

xxiii. इस प्रकटन विवरण में '***' चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है ।

xxiv. संबद्ध जांच के लिए पी ओ आई के दौरान प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अम.डॉ. = 81.15 रूपए है ।

**ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>**

9. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "90.5 प्रतिशत के न्यूनतम ट्रांसमिशन के साथ 4.2 मिमी. से कम मोटाई (0.2 मिमि. की सहनशीता सहित) वाला टैक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड ग्लास) है और जिसमें कम से कम 1 डायमेंशन 1500 मिमि. से अधिक हो, चाहे कोटेड हो अथवा अनकोडेड"

10. बाजार शब्दावली में इस उत्पाद को विभिन्न नामों जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न सोलर ग्लास आदि के रूप में भी जाना जाता है । टैक्सर्ड टेम्पर्ड ग्लास को सोलर फोटो वॉल्टिक पैनलों और सालर थर्मल अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन के स्तर को आयरन मात्रा को कम रखकर, विशेष रूप से 200

पीपीएम से कम, प्राप्त किया जा सकता है । ट्रांसमिशन का स्तर एंटी रिफेलेक्टिव कोटिंग तरल के साथ कोड करने पर लगभग 2 प्रतिशत - 3 प्रतिशत बढ़ जाता है ।

**<u>उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

11. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई अनुरोध नहीं किए हैं ।

**<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

12. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद मलेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''90.5 प्रतिशत के न्यूनतम ट्रांसमिशन के साथ 4.2 मिमी. से कम मोटाई (0.2 मिमि. की सहनशीता सहित) वाला टैक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड ग्लास) है और जिसमें कम से कम 1 डायमेंशन 1500 मिमि. से अधिक हो, चाहे कोटेड हो अथवा अनकोडेड''।

13. बाजार शब्दावली में इस उत्पाद को विभिन्न नामों जैसे सोलर ग्लास, सोलर ग्लास लो आयरन, सोलर पीवी ग्लास, हाई ट्रांसमिशन फोटोवोल्टिक ग्लास, टेम्पर्ड लो आयरन पैटर्न सोलर ग्लास आदि के रूप में भी जाना जाता है । टैक्सर्ड टेम्पर्ड ग्लास को सोलर फोटो वॉल्टिक पैनलों और सालर थर्मल अनुप्रयोगों में एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन के स्तर को आयरन मात्रा को कम रखकर, विशेष रूप से 200 पीपीएम से कम, प्राप्त किया जा सकता है । ट्रांसमिशन का स्तर एंटी रिफेलेक्टिव कोटिंग तरल के साथ कोड करने पर लगभग 2 प्रतिशत - 3 प्रतिशत बढ़ जाता है ।

14. संबद्ध उत्पाद को अधिकांशत: 70071900 के 8 अंकीय स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण के अंतर्गत आयातित किया जाता है । यद्यपि, इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनिमय, 1975 के विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत और आयातित किया जा रहा है, जैसा आयात आंकड़ों से देखा जा सकता है । तथापि, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु को उपशीर्षों 70031990, 70051010, 70051090, 70052190, 70052990, 70053090, 70071900, 70072190, 70072900, 70169000, 70200090 और 85414011 के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है, जैसा आयात आंकड़ों से स्पष्ट है । इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है और विवाद की स्थिति में उत्पाद विवरण लागू होगा ।

15. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और मलेशिया से आयातित संबद्ध वस्तु में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन और वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं । आवेदक ने दावा किया है कि भारत में आने वाली संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या सब्सिडी प्राप्त आयातों के अंतिम प्रयोग और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई अंतर नहीं है । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें ''समान वस्तु'' माना जाना चाहिए ।

**<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>**

16. मूल जांच तथा वर्तमान जांच में विचाराधीन ''90.5 प्रतिशत के न्यूनतम ट्रांसमिशन के साथ 4.2 मिमी. से कम मोटाई (0.2 मिमि. की सहनशीता सहित) वाला टैक्सचर्ड टफेंड (टेम्पर्ड) ग्लास है और जिसमें कम से कम 1 डायमेंशन 1500 मिमि. से अधिक हो, चाहे कोटेड हो अथवा अनकोडेड'' (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है'') के रूप में परिभाषित था ।

17. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में ''ग्लास और ग्लासवेयर'' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और आगे सीमाशुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7003, 7005, 7007, 7016, 7020 और 8541 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

*''समान वस्तु'' से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरुप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरुप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और मलेशिया से निर्यातित विचाराधीन उतपाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और मलेशिया से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के अनुसार तुलनीय है । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और अर्थ के भीतर संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु है ।

19. विचाराधीन उत्पाद और समान लेख के मुद्दे के बारे में प्राधिकरण के सामने कोई तर्क नहीं आया है। इसलिए, प्राधिकरण का प्रस्ताव है कि वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहे जैसा कि दीक्षा अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।

**घ. <u>विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया</u>**

20. संबद्ध वस्तु की विनिर्माण प्रक्रिया को नीचे फ्लो चार्ट में दर्शाया गया है :

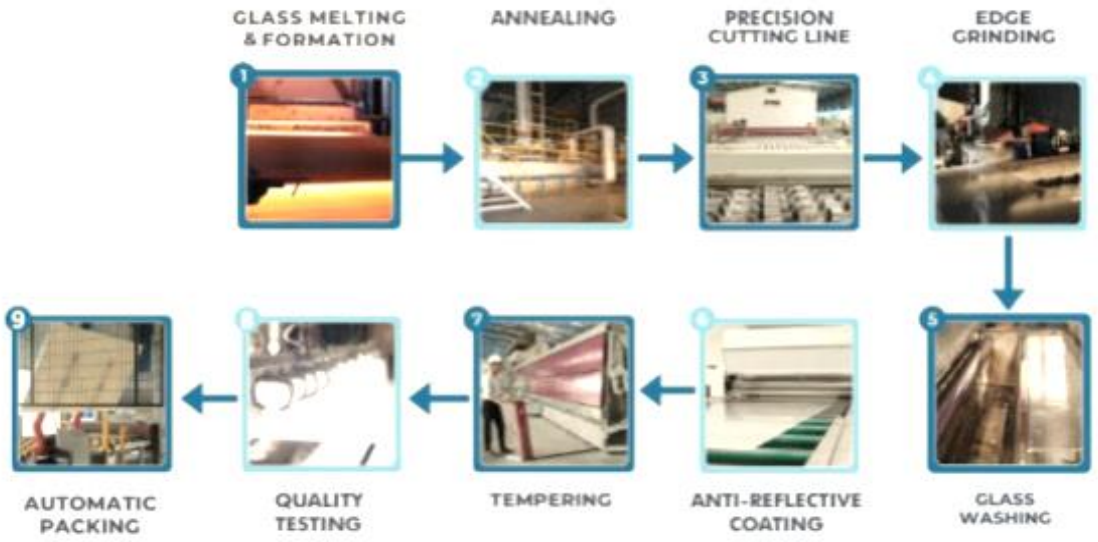

**<u>संबद्ध वस्तु के प्रयोग</u>**

21. संबद्ध वस्तु का अधिकांशत: सोलर मॉड्यूल के विनिर्माण में एक इनपुट के रूप में प्रयोग होता है । प्राधिकारी को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तु सोलर मॉड्यूल के कुल मूल्य की 4 से 5 प्रतिशत होती है । सोलर मॉड्यूल में प्रयुक्त इनपुट का चित्रात्मक आरेख निम्नानुसार है :

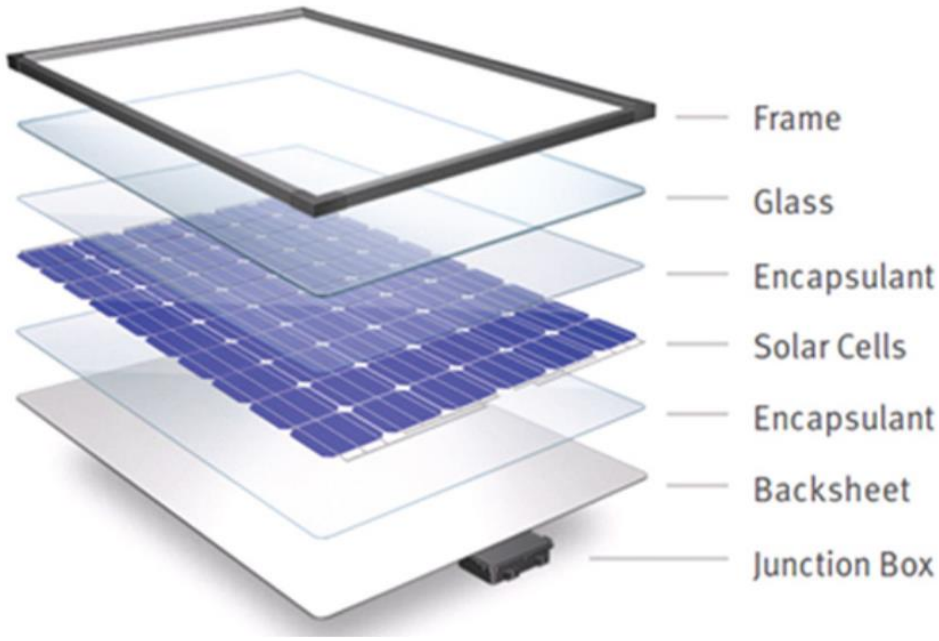


**ड. <u>घरेलू उद्योग के क्षेत्र का दायरा और स्थिति</u>**

22. वर्तमान आवेदन मै. बोरोसिल रेनेवेबल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जिनका जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन में 100 प्रतिशत हिस्सा है । प्राधिकारी को उपलब्ध सूचना के अनुसार पीओआई में देश में विचाराधीन उत्पाद का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है ।

23. उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वह संबद्ध वस्तु के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित है । उक्त के मद्देनजर आवेदक नियमावली के अंतर्गत निर्धारित घरेलू उद्योग के मामलों और स्थिति को पूरा करता है ।

24. किसी भी उत्पादक/निर्यातक/ अन्य हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के बारे में कोई अनुरोध नहीं किया है ।

25. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदक को घरेलू उद्योग माना है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

26 रिकॉर्ड में सूचना दर्शाती है कि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का ''एक प्रमुख हिस्सा'' बनता है ।

27. यथोक्त रिकॉर्ड में सामग्री की जांच करने पर और कानूनी प्रावधान पर विचार करने पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है ।

**च. <u>गोपनीयता</u>**

**<u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

28. प्रतिवादियों के गोपनीयता के दावे के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

क. जहां तक उनके अनुरोधों/सूचना का संबंध है, गोपनीयता का दावा नियमावली के नियम 7 और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार किया गया है ।

ख. क्षति निर्धारण तक पहुंचने के लिए प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए सभी आर्थिक मापदंडों को व्यापार सूचना 10/2018 दिनांक 7.09.2018 के अनुसार उपलब्ध कराया गया है ।

ग. भागीदार उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत उत्तर गोपनीयता के संबंध में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है । प्रश्नावली में अधिकांश प्रश्नों के उत्तर बिना कोई सार्थक सारांश के पूरी तरह से गोपनीय रूप में दावा किए गए हैं ।

घ. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 07/2018 में बताए गए तरीके से आयात आंकड़े प्रदान करने के दायित्व को पूरा किया है । हितबद्ध पक्षकार डी जी सी आई एंड एस से या प्राधिकारी से आंकड़े लेने के लिए स्वतंत्र हैं ।

**<u>निर्यातकों/आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

29. घरेलू उद्योग के गोपनीयता के दावों के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. आवेदक ने प्रपत्र ए से एल तक में प्रदत्त सूचना और एनआईपी की सूचना के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने आंकड़ों के वे रूझान नहीं बताए हैं जिनकी सूचना एक वर्ष से अधिक के लिए दी जानी थी ।

ख. यह कि चूंकि घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 03/2021 दिनांक 12.04.2021 का पालन नहीं किया है, इसलिए वर्तमान जांच को समाप्त किया जाना चाहिए।

ग. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के गोपनीय होने के लिए समर्थक साक्ष्य का दावा किया है जिसे हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणी के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए था ।

घ. यह कि निर्यातक ने लागू व्यापार सूचनाओं के अनुसार और डीजीटीआर प्रक्रिया के अनुसार अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं ।

**<u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>**

30. सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम-7 में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

*''गोपनीय सूचना''(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम(4) और नियम 17 के उपनियम(4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है*

*तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।*

31. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के बारे में किए गए अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा पुन: संगत समझे जाने की सीमा तक जांच की गई है, तद्नुसार, समाधान किया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी । संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है । सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना के गोपनीय होने का दावा किया है ।

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसी समस्त सूचना का अगोपनीय अंश प्रदान किया है जो वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संगत है।

**छ. विविध अनुरोध**

**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

33. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

क. चीन और मलेशिया से संबद्ध वस्तु के विरूद्ध शुल्क ने भारतीय उद्योग के लिए सकारात्मक रूप से कार्य किया है । यद्यपि चीन और मलेशिया से संबद्ध वस्तु की आयात कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से अब भी कम है । तथापि, संबद्ध वस्तु पर एडीडी लगने से भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों को थोड़ी राहत मिली है ।

ख. शुल्क लागू होने के बाद घरेलू उद्योग तथा अन्य संभावित कंपनियों ने देश में संबद्ध वस्तु की मांग और उसमें वृद्धि की संभावना को देखते हुए संबद्ध वस्तु की विनिर्माण क्षमताओं में निवेश किया है । मलेशिया के विरूद्ध 2019

में एडीडी लागू होने से पहले संबद्ध वस्तु की विनिर्माण क्षमता केवल *** एमटी/प्रति वर्ष थी जिसमें बोरोसिल एकमात्र उत्पादक था । शुल्क लगने के बाद यद्यपि, बोरोसिल ने अपनी क्षमता बढ़ाई तथापि, 5 नई कंपनियां शामिल हुईं और वे उत्पादन शुरू करने वाली हैं ।

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं :

क. प्राधिकारी को आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यापार आसूचना पर आधारित आंकड़ों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और उन्हें डी जी सी आई एंड एस से विश्वसनीय और प्रमाणित आंकड़े लेने चाहिए और वर्तमान जांच के निष्कर्ष में उनकी जांच करनी चाहिए।

ख. समस्त साक्ष्य जांच की शुरूआत को उचित नहीं ठहरा सकते हैं । इसके बताए प्राधिकारी को प्रस्तुत साक्ष्य *"पर्याप्त साक्ष्य"* बनने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता के होने चाहिए। आवेदक के लगाए गए आरोप अधिकांशत: अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं । इसके अलावा, आवेदक प्रस्तुत आंकड़ों से तार्किक निष्कर्ष निकालने में विफल रहा है । इस प्रकार, उत्पादक/निर्यातक का अनुरोध है कि आवेदन वर्तमान जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए, पर्याप्त साक्ष्य देने में विफल रहा है।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

35. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के निम्नलिखित पैराग्राफों में जांच की है :

36. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के मामले में प्राधिकारी को प्रथमदृष्टया स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना होता है कि शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृति होने की संभावना होगी । जांच की शुरूआत का यह निष्कर्ष प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन को पढ़ने के बाद निकाला जाना चाहिए।

37. जांच शुरूआत के समय आवेदक के लिए प्रथमदृष्टया यह मामला बनाना उचित है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृति होगी।

वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध देश के आयात/निर्यात आंकड़ों की विस्तृत जांच की है और स्वयं को प्रथमदृष्टया संतुष्ट किया है कि संबद्ध देश के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बाद भी घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु के आयातों का रूझान क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान निरंतर सकारात्मक रहा है।

38. उल्लेखनीय है कि निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृतिहोने का संभावना विश्लेषण अपेक्षित है, इसलिए किसी मूल जांच में पाटन और क्षति की मौजूदगी/ अभाव के एकमात्र महत्वपूर्ण होने की संभावना नहीं है । इस प्रकार वर्तमान जांच को शुरू करते समय प्राधिकारी के पास पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृति होने की संभावना की जांच के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य थे।

39. यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने यह दर्शाने के लिए कोई सूचना/साक्ष्य नहीं दिया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर जांच की शुरूआत में किसी नियम का उल्लंघन कैसे किया है या उसने कैसे किसी हितबद्ध पक्षकार के हितों के विरूद्ध पक्षपात किया है । अत: प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस आधार पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों में कोई सच्चाई नहीं है ।

40. निर्यातक द्वारा आवेदक के प्रस्तुत आयात आंकड़े पर भरोसा नहीं करने के अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने वर्तमान पत्तन विवण के प्रयोजनार्थ डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है ।

**ज. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>**

41. अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(*क*) *समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(*ख*) *उपधारा* (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:*

*परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।*

**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

42. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद मलेशियाई निर्यातकों ने भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रखा है । वास्तव में भारत को मलेशियाई निर्यातकों की निर्यात कीमत में लागत में वृद्धि के बावजूद एडीडी के लागू होने के बाद गिरावट आई है ।

ii. यह रोचक है कि सहयोगी निर्यातक ने यह भी दावा नहीं किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन नहीं कर रहे हैं ।

iii. घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि जिनयी मलेशिया को अपने साथी सहायक कंपनी से ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हुआ है और वह उसकी तत्काल धारक कंपनी है । यह एक स्वीकृत तथ्य है कि उन्हें संबंधित पक्षकार से प्राप्त अपने ऋणों पर कोई ब्याज नहीं देना है । इसके परिणामस्वरूप वित्तीय लागत का भार उनके लेखा परीक्षित लेखों में नहीं दिया गया है । चूंकि वे कोई ब्याज नहीं दे रहे हैं जो अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में देय होता, इसलिए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से मलेशिया में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आवश्यक कोई अनिवार्य परीक्षण करने से पहले संबद्ध वस्तु की कुल लागत में ब्याज लागत जोड़ने का अनुरोध किया है। यह भी बताया गया है कि

प्राधिकारी ने मूल जांच में भी मलेशिया के लिए ब्याज लागत समायोजित की थी ।

iv. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से मलेशिया, थाइलैंड और वियतनाम से सभी प्रकार के रिकार्डेबल, डिजीटल वर्सेटाइल डिस्क (डीवीडी) मामले (फा.सं. 14/16/2009-डीजीएडी दिनांक 2.7.2010) में अपनाई गई नीति को अपनाने का अनुरोध किया है जिसमें प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा कोई उधारी नहीं होने पर भी उत्पादन लागत में 5 प्रतिशत की मानक ब्याज लागत जोड़ी थी ।

v. चीन से कच्ची सामग्री की खरीद के संबंध में घरेलू उद्योग ने बताया है कि उन्होंने जिनयी समूह की इस वार्षिक रिपोर्ट को नोट किया है कि वे चीन में स्थित अपने संबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री खरीद रहे हैं । चूंकि प्राधिकारी, चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था मान रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्राधिकारी से चीन से खरीदी गई कच्ची सामग्री की कीमत की अनदेखी करने का अनुरोध किया है और प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करने के बाद उनकी उत्पादन लागत में उचित समायोजन करने का अनुरोध किया है । घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह भी अनुरोध किया है कि कच्ची सामग्री की कीमत को इस आधार पर उनके प्रत्यक्ष मूल्य पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कच्ची सामग्री को संबंधित पक्षकार से खरीदा गया है । इस संबंध में घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित रबड़ रसायन अर्थात एमबीटी, सीबीएस, टीडीक्यू, पीवीआई और टीएमटी तथा चीन जन.गण. और कोरिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीएक्स-13 (6पीपीडी) के आयातों (फा.सं. 15/1/2013-डीजीएडी दिनांक 29.04.2014) और (फा. सं. 6/20/2020-डीजीटीआर दिनांक 26.07.2021) से संबंधित जांच की ओर प्राधिकारी का ध्यान दिलाया है जिसमें प्राधिकारी ने इस आधार पर चीन से खरीदी गई प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमत को अस्वीकार किया था कि किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश से कीमत उचित लागत को नहीं दर्शाती है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि इस जांच में भी यही नीति अपनाई जानी चाहिए ।

vi घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह जांच करने का अनुरोध किया है कि क्या निर्यातक ने असंबंधित निर्यातकों के लिए एस जी और ए तथा लाभ का दावा किया है ।

vii. घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि मूल्य ह्रास के प्रयोजनार्थ परिसंपत्ति की लागत को मशीनरी के उचित मूल्य पर विचार करने के बाद समायोजित किया जाना चाहिए, जिसका आयात चीन से हुआ है । यह नीति हाल के जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुपालन में होगी ।

viii. प्राधिकारी को निर्यातकों की उत्पादन लागत में वित्त लागत को उचित ढंग से जोड़ना चाहिए क्योंकि उन्हें संबंधित पक्षकारों से ब्याज मुक्त ऋण मिल रहे हैं।

ix. प्राधिकारी को इस अवधि के दौरान कारखाना द्वार निर्यात कीमत की गणना के लिए दावा किए गए समायोजन की जांच करनी चाहिए, पीओआई के दौरान मालभाड़ा लागत और अन्य व्यय पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अधिक थे ।

x. चीन में मूल कंपनी ने संबंधित पक्षकार सौदों के अंतर्गत मलेशिया की अपनी सहायक कंपनी को सभी संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति की है । घरेलू उद्योग द्वारा मलेशिया में प्रमाणित एजेंसियों की एक सूची भी दी गई है ताकि निर्यातक प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार मशीनरी के बारे में प्रमाण पत्र दे सकें ।

xi. निर्यातक/उत्पादक जिनयी सोलर (मलेशिया) का ''जिनयी ग्लास (इंडिया)'' के नाम से एक भारतीय कार्यालय है और बाजार सूचना के अनुसार जिनयी ग्लास (इंडिया) निर्यातक के लिए पीयूसी के आग्रह व्यवसाय में शामिल है ।

**अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

43. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

i. घरेलू उद्योग मलेशिया में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के संबंध में कोई विश्वसनीय सूचना देने में विफल रहा है और इसलिए अंतिम निर्धारण पर इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

ii. प्राधिकारी को पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार करना चाहिए ।

iii. जिनयी सोलर, मलेशिया ने गुआंसी जिनयी ट्रेडिंग कं. लि. जो चीन में स्थित है, के जरिए निविष्टियां खरीदी हैं । उक्त खरीद निकट कीमत पर हुई थी । गुआंसी जिनयी ट्रेडिंग कं. द्वारा आपूर्ति की गई ये वस्तुएं उस कंपनी द्वारा

उत्पादित नहीं थीं बल्कि निकट आधार पर असंबंधित आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी गई हैं ।

iv. जिनयी सोलर मलेशिया ने मलेशिया सरकार के अनुमोदन से बाजार कीमत पर संयंत्र और मशीनरी खरीदी है । इसके अलावा, इस मुद्दे को मूल जांच में पहले ही निपटाया गया है और अंतिम जांच परिणाम से संगत उद्धरण नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए थे ।

*''संबंधित पक्षकार से संयंत्र और मशीनरी और कलपुर्जों की खरीद की सूचना के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कलपुर्जों और संयंत्र और मशीनरी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से असंभव है क्योंकि इन वस्तुओं को क्रेता द्वारा अपने स्वयं के प्रयोग के लिए अनुकूल बनाया जाता है । अत: प्राधिकारी मानते हैं कि यद्यपि, कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत का बैंचमार्क उपलब्ध है, तथापि, कलपुर्जों/मशीनरी के लिए किसी तरह की विश्वसनीय सूचना प्राप्त करना तकनीकी विनिर्देशनों और अनुकूलित अपेक्षाओं की दृष्टि से संभव नहीं है । वर्तमान जांच के दौरान निर्यातक प्रश्नावली को संशोधित किया गया । तथापि, संबंधित पक्षकारों से कलपुर्जों/उपकरणों की खरीद की सौदावार सूचना विशेष रूप से घरेलू उद्योग के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त की गई थी । मै. जिनयी सोलर (मलेशिया) के स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने प्रमाणित किया है कि कंपनी का वित्तीय विवरण मलेशियायी वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों और मलेशिया में कंपनी अधिनियम, 2016 की अपेक्षा के अनुसार है । ''*

*इसके अलावा, जिनयी सोलर के स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2017 में जिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी लेखा परीक्षित बहियों और लेखों में आए संयंत्र और मशीनरी के मूल्य के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है ।*

*मूल्य ह्रास को हमेशा लागू कानूनों, अधिनियमों और विनियमों के अनुसार ज्ञात किया जाता है और उन्हें सामान्यत: बिक्री के प्रतिशत के रूप में परिकलित किया जाता है । जिनयी सोलर (मलेशिया) की वार्षिक रिपोर्ट 2017 के अनुसार*

*संयंत्र और मशीनरी के मूल्य ह्रास को 7 प्रतिशत-10 प्रतिशत की दर की सीधी रेखा पद्धति में दर्शाया गया है ।*

*कंपनी की लेखांकन नीति दर्शाती है कि ऐतिहासिक लागत आम तौर पर परिसंपत्तियों के विनिमय में दिए गए सौदे के उचित मूल्य पर आधारित होती है ।*

v. पीयूसी के उत्पादन में प्रमुख कच्ची सामग्री ''कच्चा शीशा'' होता है जिसे जिनयी सोलर द्वारा स्वयं उत्पादित किया जाता है । इसके अलावा, जिनयी सोलर कच्ची सामग्री की काफी कम मात्रा (कुल कच्ची की खपत का लगभग ***-***%) चीन जन.गण. से खरीदता है । उसे भी ऐसे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से लिया जाता है जिनके पास निर्यात लाइसेंस नहीं है ।

vi ब्याज मुक्त लोन से संबंधित मुद्दे की प्राधिकारी ने मलेशिया से टैक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास चाहे कोटेड हो अथवा अनकोटेड, के आयातों से संबंधित सीवीडी जांच में पहले ही जांच की है जो सेस्टेट के समक्ष न्यायाधीन है ।

vii. जिनयी ग्लास (इंडिया) एक भारतीय कंपनी नहीं है; वह हांगकांग में अधिनिगमित एक कंपनी है । यहां केवल कंपनी के नाम में भारत शब्द होने से यह अर्थ नहीं होता है कि वह भारत में स्थापित है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिनयी ग्लास (इंडिया) ने भारत में संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए आरबीआई को आवेदन किया था परंतु वह आवेदन वापस लिया गया और तत्पश्चात बंद कर दिया गया ।

**प्राधिकारी द्वारा जांच**

**1. अधिकांशत: चीन से संबंधित औश्र असंबंधित पक्षकारों से कच्ची सामग्री की खरीद**

44. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 का पैरा-। निम्नानुसार है :

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 में उल्लेख है किः *"इस सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागत तत्व सामान्य रूप से जांच के तहत आने वाले निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, बशर्ते कि वे रिकार्ड निर्यातक देश के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं और वे रिकार्ड विचाराधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागत को पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं।"*

45. अत: प्राधिकारी नोट करते है कि यदि सहयोगी उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड तर्कसंगत रूप से विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागत को तर्कसंगत रूप से दर्शाते हैं, तो प्राधिकारी ऐसे रिकॉर्ड में दी गई कीमत को स्वीकार कर सकते हैं । यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के इस दावे के संबंध में कि कच्ची सामग्री जिनयी सोलर मलेशिया द्वारा चीन जन.गण. में उनकी संबंधित कंपनी से खरीदी जा रही है, तो सहयोगी उत्पादक/निर्यातक अर्थात जिनयी सोलर, मलेशिया ने बताया है कि उसने कच्ची सामग्रियां जैसे लो आयरन डोलोमाइट, लो आयरन लाइमस्टोन और सोडियम सल्फेट को अपने संबंधित पक्षकार से खरीदा है । तथापि, ये कच्ची सामग्रियां पीयूसी की उत्पादन लागत का प्रमुख हिस्सा नहीं है । इसके मद्देनजर चीन जन गण, कोरिया गणराज्य और यू एस ए से रबड़ कैमिकल की पीएक्स-13 के अंतिम जांच परिणाम, जिनमें प्राधिकारी ने 4 एडीपीए की वास्तविक आयात कीमत पर विचार करने के बजाए 4 एडीपीए (रबड़ कैमिकल पीएक्स-13 बनाने में प्रयुक्त एक प्रमुख रसायन) की बाजार कीमत पर वर्तमान जांच में भरोसा नहीं किया है क्योंकि 4एडीपीए रबड़ कैमिकल अर्थात पीएक्स-13 की उत्पादन लागत में प्रमुख हिस्सा भी बनता है ।

**2. उनकी साथ सहायक कंपनियों से जिनयी सोलर मलेशिया को ब्याज मुक्त ऋण**

46. ब्याज मुक्त ऋण के लिए लागत और सामान्य मूल्य में समायोजन में मुद्दे के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह ऋण किसी ब्याज के बिना हांग कांग में संबधित पक्षकार से लिया गया है । ऐसा केवल इसलिए संभव था क्योंकि जिनयी की एक संबंधित कंपनी हांगकांग में स्थित है । यदि जिनयी मलेशिया की कोई संबंधित कंपनी हांगकांग में स्थित नहीं होती, तो हांगकांग से ऋण लेना या तो संभव नहीं होता या यदि जिनयी मलेशिया को ऋण मिल भी जाता तो प्रभारित ब्याज उसमें शामिल जोखिमकारक के आधार पर भिन्न होता । यह भी नोट किया जाता है कि *एडी नियमावली , 1995 के अनुबंध-1 के पैरा-1* में भी उल्लेख है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में लागत के तत्व सामान्यत: जांच के अधीन निर्यातक या उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों से निर्धारित किए जाएंगे । बशर्ते कि ऐसे रिकॉर्ड निर्यातक देश से सामान्यत: स्वीकृत लेखाकन सिद्धांतों के अनुसार हों और **ऐसे रिकॉर्ड तर्कसंगत रूप से जांच के अधीन वस्तु के उत्पादन और बिक्री से संबंधित लागत को दर्शाते हैं ।** अत: जिनयी मलेशिया द्वारा हांगकांग में स्थित अपनी प्रमुख शेयरधारक कंपनी से लिए

गए ब्याजमुक्त लोन को उसके सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पीयूसी की उत्पादन लागत ज्ञात करके प्रचलित ब्याज दर के साथ उचित रूप से लेखांकित किया गया है ।

**3. जिनयी सोलर मलेशिया द्वारा चीन जन.गण. में अपनी संबंधित कंपनी से संयंत्र और मशीनरी की खरीद**

47. घरेलू उद्योग का आरोप है कि चीन जन.गण. में मूल कंपनी में अपनी मलेशियायी सहायक कंपनी अर्थात जिनयी सोलर मलेशिया को एक संबंधित पक्षकार सौदे के अंतर्गत समस्त संयंत्र और मशीनरी की आपूर्ति की है ।

48. जिनयी सोलर मलेशिया, सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने बताया है कि उसने मलेशिया सरकार के अनुमोदन से बाजार कीमत पर संयंत्र और मशीनरी खरीदी है ।

49. यह नोट किया गया है कि यद्यपि, कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों संबंधी बैंच मार्क उपलब्ध है, तथापि, कलपुर्जों/मशीनरी के लिए इसी तरह की विश्सनीय सूचना तकनीकी विनिर्देशनों और अनुकूल अपेक्षाओं के कारण नहीं प्राप्त की जा सकती है । इसके अलावा, जिनयी सोलर मलेशिया के स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा रिर्पोट में जिनयी सोलर (मलेशिया) की लेखाा परीक्षित बही और लेखों में दर्ज संयंत्र और मशीनरी के मूल्य के संबंध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है । स्वतंत्र लेखा परीक्षक मै. जिनयी सोलर (मलेशिया) ने प्रमाणित किया है कि कंपनी के वित्तीय विवरण मलेशियायी वित्तीय रिपोर्टिंग मानक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक और मलेशिया के कंपनी अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार हैं । यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि संबंधित पक्षकारों से इनपुट और मशीनरी की कीमत उचित कीमत पर नहीं है । इसके अलावा, निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण के समय प्राधिकारी को संबंधित पक्षकार से इनुपुट की कीमतों में कोई विसंगति भी नहीं मिली है । इसके मद्देनजर, अंतरण कीमत से संबंधित घरेलू उद्योग की चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है ।

50. यही मुद्दा मूल जांच के दौरान भी उठा था जिसमें प्राधिकारी ने जिनयी सोलर मलेशिया द्वारा संयंत्र और मशीनरी की खरीद चीन जन.गण. में संबधित कंपनियों से करने से संबंधित मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है।

## 4. जिनयी सोलर मलेशिया का 'जिनयी ग्लास (इंडिया)' के नाम से भारतीय कार्यालय

51. घरेलू उद्योग ने अपने लिखित विवरण में यह आरोप लगाया है कि उत्पादक/निर्यात जिनयी सोलर मलेशिया, जिनयी ग्लास (इंडिया) के नाम से एक भारतीय कार्यालय रख रहा है जो निर्यातक के व्यवसाय के कार्यों में शामिल है । अपने दावे के समर्थन के लिए घरेलू उद्योग ने जिनयी ग्लास होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में ''राष्ट्रीय बिक्री प्रमुख - भारत'' के लिंक्ड इन प्रोफाइल का स्क्रीन शॉट संलग्न किया है । घरेलू उद्योग ने जिनयी ग्लास इंडिया के प्रचालनों के चैट जीपीटी सर्च रिजल्ट के स्क्रीन शॉट के साथ अपने दावे को और मजबूत करने का प्रयास किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इसके अलावा घरेलू उद्योग द्वारा अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं दिया गया है ।

52. दूसरी ओर उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया कि ''जिनयी ग्लास (इंडिया)'' हांगकांग में अधिनिगमित एक कंपनी है और उसके नाम में ''इंडिया'' शब्द का कथित भारतीय कार्यालय से कोई लेना देना नहीं है । इस बात को सिद्ध करने और स्थापित करने के लिए कि जिनयी ग्लास (इंडिया) हांगकांग में अधिनिगमित कंपनी है, सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने वर्ष 2022 की अपनी लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो इसे सिद्ध करती है ।

53. यह भी नोट किया गया है कि जिनयी ग्लास (इंडिया) ने वर्ष 2018 में भारत में एक संपर्क कार्यालय स्थापित करने के लिए आर बी आई को आवेदन किया था । तथापि, आर बी आई द्वारा वर्ष 2021 में उक्त आवेदन को बंद कर दिया गया और भारत में कार्यालय स्थापित करने की अनुमति उन्हें नहीं दी गई । सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने इसे साबित करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से प्राप्त ई-मेल प्रस्तुत किया है जिसमें भारत में संपर्क कार्यालय खोलने के अनुरोध/पूछताछ को बंद कर दिया गया है । तथापि, मूल जांच में ऐसी कोई पूछताछ / ईमेल दस्तावेज नहीं था जिसे संबंधित भारतीय कार्यालय के प्रचालन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत दावे/साक्ष्य के खंडन के लिए सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने प्रस्तुत किया हो ।

54. प्राधिकारी ने मलेशिया से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं जिसमें उन्हें प्राधिकारी द्वारा विहित ढंग और तरीके से सूचना देने के लिए कहा गया था । मलेशिया से निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है ।

क. जिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन. बीएचडी

**<u>सामान्य मूल्य</u>**

55. प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. जिनयी सोलर (मलेशिया)संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है और उसने पी ओ आई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है ।

56. निर्यातक ने पीओआई के दौरान घरेलू बाजार में पीयूसी की *** मी.ट. बिक्री की है जबकि पीओआई के दौरान असंबंधित व्यापारी के जरिए भारत को *** मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है । प्राधिकारी ने पहले यह जांच की है कि क्या संबद्ध देश में संबंधित उत्पादक/निर्यातक द्वारा संबद्ध वस्तु की कुल घरेलू बिक्रियां निर्यातक देश में संबद्ध वस्तु की उनकी कुल बिक्री की तुलना में प्रतिनिधि हैं । तत्पश्चात यह जांच की गई थी कि क्या पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के अनुसार उनकी बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थीं । मै. जिनयी मलेशिया ने घरेलू बाजार में की गई बिक्री के सौदावार ब्यौरे उपलब्ध कराए हैं । प्राधिकारी ने जांच के बाद उन्हें स्वीकार किया है और घरेलू बाजार में बेची गई संबद्ध वस्तु की बिक्री कीमत के निर्धारण के लिए उन पर भरोसा किया है । व्यापार की सामान्य प्रक्रिया निर्धारण की जांच में संबंधित उत्पाद की उत्पादन लागत की उत्पादक/निर्यातक द्वारा रखे गए रिकॉड के संदर्भ में जांच की गई थी ।

57. इसके अलावा, समस्त घरेलू बिक्री सौदों की जांच संबद्ध वस्तु की प्राधिकारी द्वारा निर्धरित उत्पादन लागत के संदर्भ में की गई थी ताकि यह निर्धारित हो सके कि क्या घरेलू बिक्रियां व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में थीं या नहीं । सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी ने लाभ कमाने वाले घरेलू बिक्री सौदे के निर्धारण के लिए संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के संदर्भ में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण संचालित की है । यदि लाभ वाले सौदे 80% से अधिक हैं तो प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए घरेलू बाजार में सभी सौदों पर विचार करते हैं । जहां लाभप्रद सौदे 80% से कम हैं वहां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निवल लाभप्रद घरेलू बिक्रियों पर विचार किया जाता है । व्यापार की सामान्य प्रक्रिया परीक्षण के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए समस्त घरेलू बिक्रियों पर विचार किया गया है क्योंकि लाभप्रद बिक्रियां मात्रा के अनुसार 80% से अधिक थीं । उत्पादक ने अंतरदेशीय भाड़े, और ऋण लागत का कारखाना पश्चात व्यय के रूप में दावा किया है और प्राधिकारी

ने उसे स्वीकार करने का प्रस्ताव किया है । ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है ।

**<u>जिनयी सोलर (मलेशिया) के लिए निर्यात कीमत</u>**

58. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जिनयी सोलर (मलेशिया) एस डी एन बीएचडी ने *** अम.डॉ. बीजक मूल्य की *** एम टी संबद्ध वस्तु का भारत को सीधे निर्यात किया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, पत्तन और अन्य संबंधित व्यय, बीमा, अंतरदेशीय परिवहन, ऋण लागत, बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है जिनके ब्यौरों की सुदूर प्रति जांच/व्यवहार्य सीमा तक डेस्क सत्यापन के जरिए जांच की गई थी । तद्नुसार, उत्पादक/निर्यातक के लिए कारखाना द्वार स्तर पर पीयूसी की निवल निर्यात कीमत तद्नुसार, निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

**<u>मलेशिया से अन्य उत्पादक</u>**

59. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्राधिकरण ने नोट किया कि विषय जांच की जांच अवधि के दौरान, शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन को छोड़कर कोई अन्य उत्पादक नहीं था। बीएचडी। विषय वस्तुओं का निर्यात किया है।

**झ. पाटन मार्जिन का निर्धारण**

60. ऊपर यथाउल्लिखित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत (एनईपी) के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | उत्पादक/निर्यातक | एनवी | एनईपी | पाटन मार्जिन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अम.डॉ./मी.ट. | अम.डॉ./मी.ट. | अम.डॉ./मी.ट. | **%** | **%**रेंज |
| 1 | जिनयी सोलर (मलेशिया) | *** | *** | *** | ***% | (10)-0 |

61. प्राधिकरण ने नोट किया कि विषय जांच की जांच अवधि के दौरान, शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन को छोड़कर कोई अन्य निर्माता नहीं था। बीएचडी। विषय वस्तुओं का निर्यात किया है और उक्त एकमात्र उत्पादक के लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है।

## ञ. क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति तथा कारणात्मक संबंध की जांच

62. अनुलग्नक-II के साथ पढ़े गए नियमों के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को नुकसान का संकेत दे सकते हैं, "सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें डंप किए गए आयात की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयात के परिणामी प्रभाव शामिल हैं।" डंपिंग रोधी समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

*अनुच्छेद 11-डंपिंग रोधी शुल्कों और मूल्य उपक्रमों की अवधि और समीक्षा*

*11.1 एक डंपिंग रोधी शुल्क केवल तब तक लागू रहेगा जब तक और डम्पिंग का मुकाबला करने के लिए आवश्यक सीमा तक जो चोट का कारण बन रहा है।*

*11.2 अधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर, जहां आवश्यक हो, शुल्क के निरंतर अधिरोपण की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे या, बशर्ते कि किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा अनुरोध पर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क के अधिरोपण के बाद से उचित अवधि बीत चुकी हो, जो समीक्षा की आवश्यकता की पुष्टि करने वाली सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत करती है।(21) इच्छुक पक्षों को यह जांच करने के लिए अधिकारियों से अनुरोध करने का अधिकार होगा कि क्या डंपिंग की भरपाई के लिए शुल्क का निरंतर अधिरोपण आवश्यक है, क्या शुल्क हटाए जाने या परिवर्तित होने पर चोट जारी रहने या फिर से होने की संभावना होगी, या दोनों। यदि, इस पैराग्राफ के तहत समीक्षा के परिणामस्वरूप, अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि एंटी-डंपिंग शुल्क अब आवश्यक नहीं है, तो इसे तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा।*

*11.3 पैरा 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, कोई निश्चित डंपिंगरोधी शुल्क उसके अधिरोपित किए जाने के पांच वर्ष के पश्चात् की तारीख को समाप्त नहीं किया जाएगा (या पैरा 2 के अधीन नवीनतम समीक्षा की तारीख से यदि उस समीक्षा में डंपिंग और क्षति दोनों को शामिल किया गया है, या इस अनुच्छेद के अधीन) जब तक कि प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या उस तारीख से पूर्व उचित अवधि के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध पर उस तारीख से पूर्व आरंभ की गई समीक्षा में यह अवधारित नहीं करते हैं कि शुल्क की समाप्ति डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति का कारण*

*बनने की संभावना होगी।(22) इस तरह की समीक्षा के परिणाम तक कर्तव्य लागू रह सकता है।*

63. पाटन रोधी समझौते के अनुच्छेद 3 में कहा गया हैः

*3.1 जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VI के प्रयोजनों के लिए क्षति का निर्धारण सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होगा और इसमें दोनों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा शामिल होगी (ए) डंप किए गए आयात की मात्रा और समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर डंप किए गए आयात का प्रभाव, और (बी) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव।*

*3.2 डंप किए गए आयात की मात्रा के संबंध में, जांच अधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या डंप किए गए आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, या तो पूर्ण रूप से या आयातक सदस्य में उत्पादन या खपत के सापेक्ष। कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव के संबंध में, जांच अधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या आयातक सदस्य के समान उत्पाद की कीमत की तुलना में डंप किए गए आयात द्वारा कीमत में महत्वपूर्ण कटौती की गई है, या क्या इस तरह के आयात का प्रभाव अन्यथा कीमतों को एक महत्वपूर्ण डिग्री तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री तक होता। इनमें से कोई भी या कई कारक अनिवार्य रूप से निर्णायक मार्गदर्शन नहीं दे सकते हैं।*

*3.4 संबंधित घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन शामिल होगा।.....*

*3.5 यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि डंप किए गए आयात, डंपिंग के प्रभावों के माध्यम से, जैसा कि पैराग्राफ 2 और 4 में निर्धारित किया गया है, इस समझौते के अर्थ के भीतर क्षति का कारण बनता है। डंप किए गए आयात और घरेलू उद्योग को नुकसान के बीच एक कारण संबंध का प्रदर्शन अधिकारियों के समक्ष सभी प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच पर आधारित होगा।*

64. अनुलग्नक-II के साथ पठित डंपिंग रोधी नियमों के नियम 11 के साथ डंपिंग रोधी समझौते के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि क्षति की जांच सकारात्मक साक्ष्य पर आधारित होगी और इसमें (क) डंप किए गए आयात की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार

में कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। इस मामले में, विषय देश से आयात को अन-डंप किया गया पाया गया है और इसलिए डंप किए गए आयात की इतनी मात्रा और घरेलू उद्योग की कीमतों पर इसके प्रभाव के कारण क्षति की जांच करने के लिए निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया जा सकता है। विषय देश से डंप किए गए आयात की किसी भी मात्रा के अभाव में प्राधिकरण क्षति मापदंडों और उसके कारण संबंध की जांच करना आवश्यक नहीं समझता है।

65. यह ध्यान दिया जाता है कि मूल जांच के विपरीत जहां प्राधिकरण को दोनों के बीच वर्तमान डंपिंग, क्षति और कारण संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है, सूर्यास्त समीक्षा जांच में जांच एक संभावना की है, जो विभिन्न न्यायिक उदाहरणों और डब्ल्यूटीओ के फैसलों के माध्यम से एक तय स्थिति है।

66. एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 11.3 में एक जांच प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, ताकि एंटी-डंपिंग ड्यूटी को बनाए रखने के लिए, एक एंटी-डंपिंग ड्यूटी ऑर्डर की समीक्षा की जा सके जो पहले से ही स्थापित किया जा चुका है, डंपिंग और क्षति के पूर्व-आवश्यक निर्धारण के बाद-ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उस आदेश को जारी रखा जाना चाहिए या रद्द कर दिया जाना चाहिए। जब क्षति के निर्धारण की 'समीक्षा' पहले से ही एंटी-डंपिंग समझौते के अनुच्छेद 3 के अनुसार स्थापित की गई है, तो अनुच्छेद 11.3 की आवश्यकता नहीं है कि चोट के निर्धारण की संभावना बनाते समय अनुच्छेद 3 के अनुसार क्षति को फिर से निर्धारित किया जाए।[1]

67. वर्तमान मामले के तथ्य में, मेसर्स शिनयी सोलर मलेशिया को छोड़कर विषय वस्तु का कोई अन्य उत्पादक नहीं है, जिसके लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक पाया गया है, जिसका अर्थ है कि समग्र रूप से विषय देश का डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है। विषय देश से वर्तमान डंपिंग की अनुपस्थिति में क्षति की जांच अप्रासंगिक होगी।

68. इसलिए प्राधिकरण संभावना कारकों की जांच के लिए सीधे कदम उठाना उचित समझता है।

**ट. पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की तरह**

69. एक समीक्षा जांच में, प्राधिकरण को यह निर्धारित करना होता है कि क्या वस्तुएं डंप कीमतों पर भारतीय बाजार में प्रवेश करना जारी रख रही हैं या प्रवेश करने की संभावना है और

[1] अर्जेंटीना से ओसीटीजी पर एंटी-डंपिंग उपायों की यूएस-सनसेट समीक्षाः डब्ल्यूटी/डीएस 268/एबी/आर दिनांक 29.11.2004।

क्या शुल्क हटाए जाने पर इन डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

**घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ**

70. क्षति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैं:

क. शुल्क लागू होने के बावजूद निरंतर डंपिंग, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि डंपिंग केवल तभी जारी रहने की संभावना है जब शुल्क हटा दिए जाते हैं। इससे पता चलता है कि विषय देश में उत्पादकों में अनुचित मूल्य निर्धारण व्यवहार का सहारा लेने की प्रवृत्ति होती है।

ख. तथ्य यह है कि शुल्क लगाए जाने के बाद विषय देश से आयात की हिस्सेदारी में गिरावट आई है और बाकी दुनिया से आयात की तुलना में बहुत कम हो गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि डंपिंग रोधी शुल्क विषय देश के निर्माताओं/निर्यातकों के खिलाफ घरेलू बाजार में अपने सामान को डंप करने के लिए एक बाधा के रूप में कार्य कर रहा है।

ग. निर्यातक मलेशिया में महत्वपूर्ण क्षमता वृद्धि की योजना बना रहे हैं। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान क्षमता वृद्धि स्थानीय मांग से कहीं अधिक है जो इंगित करता है कि संयंत्रों के निर्यात बाजारों पर निर्भर होने की संभावना है और भारत विशेष रूप से भारत में उच्च विकास को देख रहा है। ऐसे समय में जब भारतीय उद्योग मलेशिया से डंपिंग के कारण पीड़ित है, ये अतिरिक्त क्षमताएं न केवल नए निवेश को खतरे में डालेंगी, बल्कि मौजूदा निवेश और "आत्मनिर्भर भारत" के दृष्टिकोण के लिए भी खतरा पैदा करेंगी।

| **विवरण** | **यूओएम** | |
|---|---|---|
| मलेशिया में क्षमता विस्तार | मी.ट. | 711750 |
| शिनयी सोलर-1200 एमटी प्रति दिन (स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट) | | |
| एनएसजी-750 प्रति दिन (स्रोतः बाजार स्रोत और सार्वजनिक समाचार | | |
| भारतीय पीयूसी मांग | मी.ट. | *** |
| भारतीय पीयूसी उत्पादन | मी.ट. | *** |
| भारतीय मांग में मलेशिया में नई क्षमता वृद्धि का प्रतिशत | % | ***% |
| भारतीय मांग में मलेशिया में नई क्षमता वृद्धि का प्रतिशत | रेंज | 130-150 |
| भारतीय उत्पादन में मलेशिया में नई क्षमता वृद्धि का प्रतिशत | % | ***% |
| भारतीय उत्पादन में मलेशिया में नई क्षमता वृद्धि का प्रतिशत | रेंज | 610-640 |

घ. चीन से आयात, 2018-19 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 99000 एमटी से घटकर 28000 एमटी हो गया। यह कमी मुख्य रूप से चीन के खिलाफ एंटी-डंपिंग शुल्कों के अस्तित्व के कारण थी। इसी अवधि के दौरान मलेशिया से आयात 2018-19 में 42000 एमटी से बढ़कर 2021-22 में 128000 एमटी हो गया। 2021 में, मलेशिया के खिलाफ सब्सिडी विरोधी शुल्क लगाए गए थे। 2021-22 में, चीन (एंटी-डंपिंग) और मलेशिया (एंटी-सब्सिडी) के खिलाफ मौजूद शुल्कों के साथ वियतनाम से आयात बढ़ने लगा।

ड. जब से चीन के खिलाफ डंपिंग रोधी शुल्क हटा दिया गया है, चीन से आयात तेजी से बढ़ा है और इन आयातों के खिलाफ सब्सिडी रोधी शुल्क के कारण मलेशिया से आयात में कुछ हद तक गिरावट आई है। यदि मलेशिया के खिलाफ डंपिंग रोधी शुल्क नहीं बढ़ाया जाता है, तो मलेशिया से आयात में तेजी आने की संभावना है और वर्तमान निवेश के आर्थिक रूप से कमजोर होने का पर्याप्त जोखिम होगा और नए निवेश में या तो देरी होगी या गिरावट आएगी।

| Quantity MT | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imports from China | 65,520 | 99,213 | 76,778 | 29,324 | 28,372 | 209,317 |
| Imports from Malaysia | 37,929 | 41,789 | 119,968 | 128,273 | 91,949 | 81,937 |
| Imports from Vietnam | - | - | - | 656 | 78,093 | 103,277 |
| Other Countries | 1,077 | 1,430 | 1,272 | 546 | 23 | 993 |
| Total Imports | 104,526 | 142,432 | 198,017 | 158,799 | 198,436 | 395,524 |

च. बाजार खुफिया जानकारी के अनुसार, मलेशिया के निर्यातकों के पास घरेलू मांग की तुलना में काफी अधिक क्षमता है और उस क्षमता के साथ, वे भारतीय बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। मलेशिया में क्षमता का जोड़ भारतीय क्षमता और उत्पादन से कई गुना अधिक है। चूंकि भारत सौर ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के साथ एक बढ़ता हुआ बाजार है, इसलिए यह विशाल अधिशेष क्षमता वाले देशों के लिए हमेशा एक आकर्षक गंतव्य बना रहेगा।

छ. भारतीय बाजार की मूल्य संवेदनशीलता इसे डंप और हानिकारक आयात के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। ऐसी परिस्थितियों में, लागू डंपिंग रोधी शुल्क को वापस लेने और मुख्य उत्पादकों के खिलाफ शुल्कों को न लेने से निश्चित रूप से डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति होगी और घरेलू उद्योग को नुकसान होगा। शुल्क हटाए जाने के बाद बड़े पैमाने पर संभावित आयात की पूरी संभावना है।

ज. मलेशिया और चीन के खिलाफ शुल्क लगाए जाने के बाद, भारतीय निर्माताओं ने योजनाबद्ध तरीके से अपनी क्षमता बढ़ा दी है। जबकि बोरोसिल ने 2018 में अपनी क्षमता 180 एमटी/दिन से बढ़ाकर 2023 तक 1000 एमटी/दिन कर दी है, कई नए निर्माताओं (जैसा कि नीचे दिया गया है) ने अपनी सुविधाएं स्थापित की हैं। दी गई क्षमता विस्तार के साथ, भारतीय उद्योग भारत में मांग को पूरा करने में सक्षम होगा।

| **विवरण** | **क्षमता (एमटी/दिन में प्रति वर्ष)** |
|---|---|
| त्रिवेणी रिन्यूएबल्स लिमिटेड | *** |
| विशाखा रिन्यूएबल्स लिमिटेड | *** |
| गोबिंद ग्लास लिमिटेड | *** |
| इमर्ज ग्लास लिमिटेड | *** |
| गोल्ड प्लस ग्लास लिमिटेड | *** |
| कुल | *** |
| बीआरएल की क्षमता | *** |
| भारत में कुल क्षमता | *** |

झ. मलेशिया से आयात में गिरावट आई है क्योंकि चीन से आयात में वृद्धि हुई है, जहां शिनयी मलेशिया की मूल कंपनी स्थित है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि शिनयी मलेशिया ने मांग में वृद्धि के बावजूद अपने कम आयात के बारे में कुछ नहीं कहा है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि भाग-II प्रश्नावली के जवाब में उनके प्रस्तुतिकरण के अनुसार, भारत में उनका निर्यात बढ़ना चाहिए था क्योंकि मांग कई गुना बढ़ गई है। उनके द्वारा विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि "पीयूसी की वैश्विक मांग बढ़ रही थी और वैश्विक प्रवृत्ति के बाद शिनयी मलेशिया का संचालन बदल रहा है"। निर्यातक के इस दृष्टिकोण से केवल यह पता चलता है कि मलेशिया से कम निर्यात केवल चीन से निर्यात में वृद्धि के कारण है। यह घरेलू उद्योग की इस बात की भी पुष्टि करता है कि चीन मलेशिया और वियतनाम के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति को नियंत्रित कर रहा है ताकि प्रभावित देशों द्वारा वैध व्यापार उपायों से बचा जा सके।

ञ डी. जी. टी. आर. की प्रथा के अनुसार और माननीय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के अनुसार, अगर डी. जी. टी. आर. सूर्यास्त समीक्षा जांच के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कर्तव्यों में बदलाव करता है तो कोई रोक नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, सूर्यास्त समीक्षा जांच के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्यातक पर शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

**अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ**

71. क्षति की संभावना के संबंध में इच्छुक पक्षों की प्रस्तुतियाँ नीचे पुनः प्रस्तुत की गई हैंः

क. घरेलू उद्योग ने संभावना के अपने दावे की पुष्टि नहीं की है और समर्थन में कोई सबूत/जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

ख. शिनयी से डंपिंग और क्षति लगने की कोई संभावना नहीं है, जैसा कि मूल जांच में हुआ था।

**प्राधिकरण द्वारा जाँच**

72. प्राधिकरण ने धारा 9 ए (5) नियम 23 (1 बी) के तहत निर्धारित आवश्यकता और डंपिंग रोधी नियमों के अनुलग्नक-II (vii) के संदर्भ में भौतिक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों और इच्छुक पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करते हुए चोट के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

73. प्राधिकरण का मानना है कि यह एक सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के नाते, जांच का ध्यान निरंतर डंपिंग और परिणामी क्षति के संभावित परिदृश्य की जांच करने पर है, अगर डंपिंग रोधी कर्तव्यों को समाप्त करने की अनुमति दी जानी है, भले ही कोई वर्तमान डंपिंग या चोट न हो। इसके लिए इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि क्या लगाया गया शुल्क हानिकारक डंपिंग को खत्म करने के इच्छित उद्देश्य को पूरा कर रहा है।

74. प्राधिकरण के संज्ञान में लाए गए सभी कारकों की जांच यह निर्धारित करने के लिए की गई है कि क्या शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग या क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है। प्राधिकरण ने डंपिंग या क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न जानकारी पर विचार किया है।

75. संभावना विश्लेषण करने के लिए कोई विशिष्ट कार्यप्रणाली उपलब्ध नहीं है। हालांकि, नियमों के अनुलग्नक-II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारक भी दिए गए हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। :

**क. भारत में डंप किए गए आयात की वृद्धि की एक महत्वपूर्ण दर आयात में काफी वृद्धि की संभावना का संकेत देती हैः**

i. रिकॉर्ड पर और नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़ों से, प्राधिकरण ने नोट किया कि 2020-21 को छोड़कर, मलेशिया से आयात में क्षति की अवधि और पीओआई में धीरे-धीरे गिरावट आई है।

ii. हालाँकि, अन्य देशों से आयात में वृद्धि हुई है। चीन एंटी-डंपिंग शुल्क को रद्द करने के बाद।

| **विवरण** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** | **POI** |
|---|---|---|---|---|
| मलेशिया | 122402 | 144701 | 89679 | 77829 |
| अन्य देशों से आयात | 73202 | 37791 | 111158 | 323043 |
| कुल आयात (MT) | 195605 | 182491 | 200837 | 400872 |

ख. **किसी भी अतिरिक्त निर्यात को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों में डंप किए गए निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत देते हुए निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र रूप से डिस्पोजेबल, या एक आसन्न, पर्याप्त वृद्धिः**

i. प्राधिकरण ने नोट किया कि मलेशिया में क्षमता विस्तार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी मुख्य रूप से शिनयी सोलर, मलेशिया द्वारा विस्तार पर निर्भर करती है। प्राधिकरण ने आगे नोट किया कि उक्त निर्माता को वर्तमान के साथ-साथ पिछली जांच में भी बेकार नहीं पाया गया है। इसलिए, शिनयी सोलर, मलेशिया द्वारा क्षमता में कोई भी विस्तार, जो भी हो, डंपिंग के लिए एक अप्रासंगिक संभावना है।

ii. निप्पॉन शीट ग्लास कंपनी लिमिटेड (एनएसजी) नामक एक नए उत्पादक द्वारा क्षमता वृद्धि के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में प्रदान किए गए प्रासंगिक लिंक

से केवल यह पता चलता है कि एनएसजी समूह निकट भविष्य में कोटिंग क्षमता स्थापित करेगा और सुविधा के संचालन के बाद सौर पैनल निर्माण के लिए टीसीओ ग्लास की शिपिंग शुरू करेगा और परिवर्तित लाइन से अपेक्षित आपूर्ति मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान शुरू होगी। जहां तक नए उत्पादक, अर्थात् एनएसजी समूह द्वारा क्षमताओं की स्थापना के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियों का संबंध है और यह कि उसने नवंबर 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि चूंकि उक्त उत्पादक ने जांच अवधि में विषय वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, इसलिए भविष्य में इसके निर्यात और अधिक डंप होने की संभावना पर कोई भी निष्कर्ष सबसे अच्छा होगा।

iii. पाकिस्तान में डब्ल्यूटीओ पैनल-बीओपीपी फिल्म (यूएई) ने कानूनी स्थिति को और मजबूत किया है जहां यह देखा गया था किः

*"…. एक सदस्य सूर्यास्त की कार्यवाही के दौरान संभावना विश्लेषण करते समय पूरी तरह से धारणा या अटकलों पर भरोसा नहीं कर सकता है, लेकिन इसके बजाय, सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर अपनी परीक्षा आयोजित करना चाहिए ताकि पर्याप्त तथ्यात्मक आधार पर एक तर्कपूर्ण निर्धारण पर पहुंचा जा सके, कि डंपिंग और क्षति 'संभावित' हैं-। संभावित और केवल संभव नहीं-जारी रखना या दोहराना।*

**ग. क्या आयात कीमतों पर प्रवेश कर रहा है जिसका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण निराशाजनक या दमनकारी प्रभाव पड़ेगा और आगे आयात की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगीः**

i. प्राधिकरण के नीचे दी गई तालिका से पता चलता है कि मलेशिया से भारित भूमि मूल्य घरेलू उद्योग के भारित औसत बिक्री मूल्य और भारित औसत लागत से लगातार नीचे है। इसी तरह, भारित औसत बिक्री मूल्य भी पूरी चोट जांच अवधि के दौरान भारित औसत लागत से कम है।

ii. हालाँकि, प्राधिकरण ने नोट किया कि चोट की जाँच अवधि के दौरान मलेशिया से भूमि मूल्य में वृद्धि हुई। जबकि घरेलू उद्योग का बिक्री मूल्य आधार वर्ष से 2021-22 तक बढ़ा, यह पीओआई में गिर गया।

iii. प्राधिकरण विधिवत नोट करता है कि घरेलू उद्योग पर मूल्य दबाव है और वह इसकी लागत का एहसास करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, यह भी समान रूप से ध्यान दिया जाता

है कि इस दबाव को विषय देश से आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि इसे अन-डंप किया गया पाया गया है।

| Particulars | UoM | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | POI |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री की औसत लागत | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| सामान्य प्रवृत्ति | Indexed | 100 | 119 | 132 | 142 |
| बिक्री मूल्य | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| सामान्य प्रवृत्ति | Indexed | 100 | 136 | 159 | 155 |
| मलेशिया से आयात की औसत लैंडेड कीमत | Rs/MT | *** | *** | *** | *** |
| सामान्य प्रवृत्ति | Indexed | 100 | 128 | 129 | 138 |

76. इसके अलावा, प्राधिकरण ने डंपिंग की निरंतरता या पुनरावृत्ति और घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान की संभावना पर असर डालने वाले अन्य प्रासंगिक कारकों की भी जांच की है। जाँच इस प्रकार है।

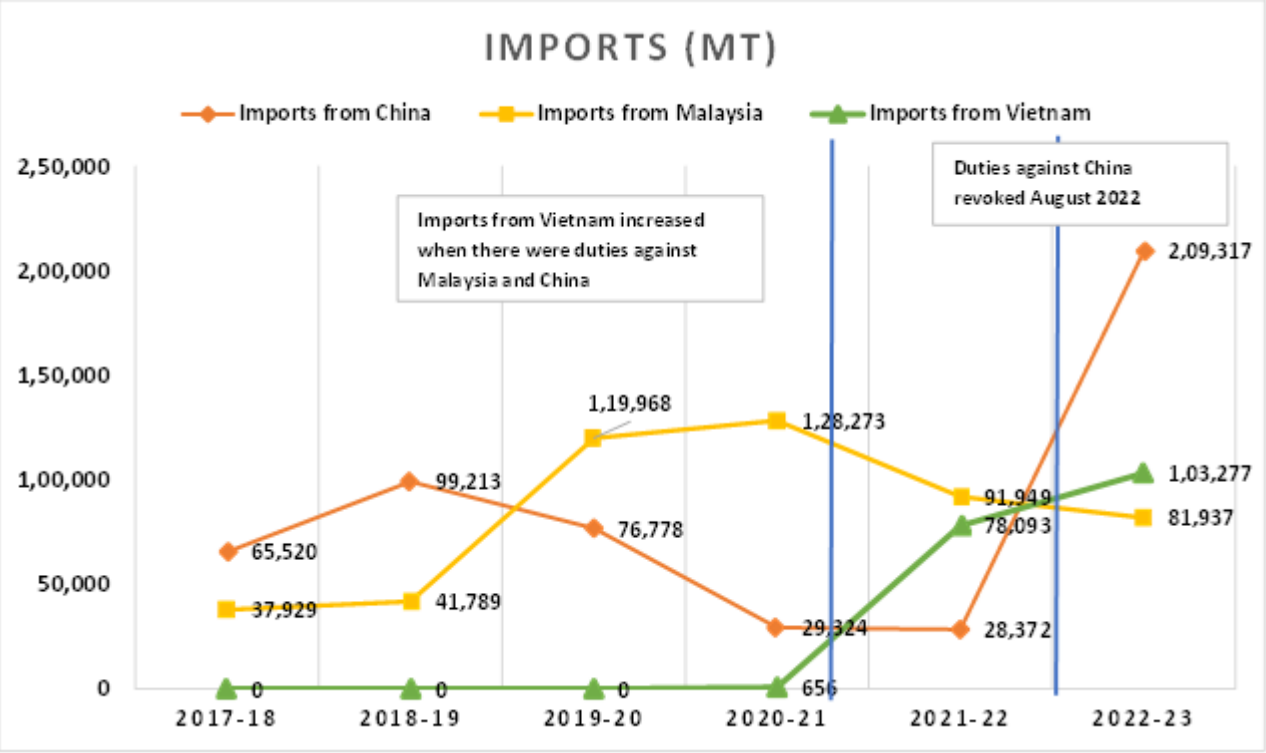

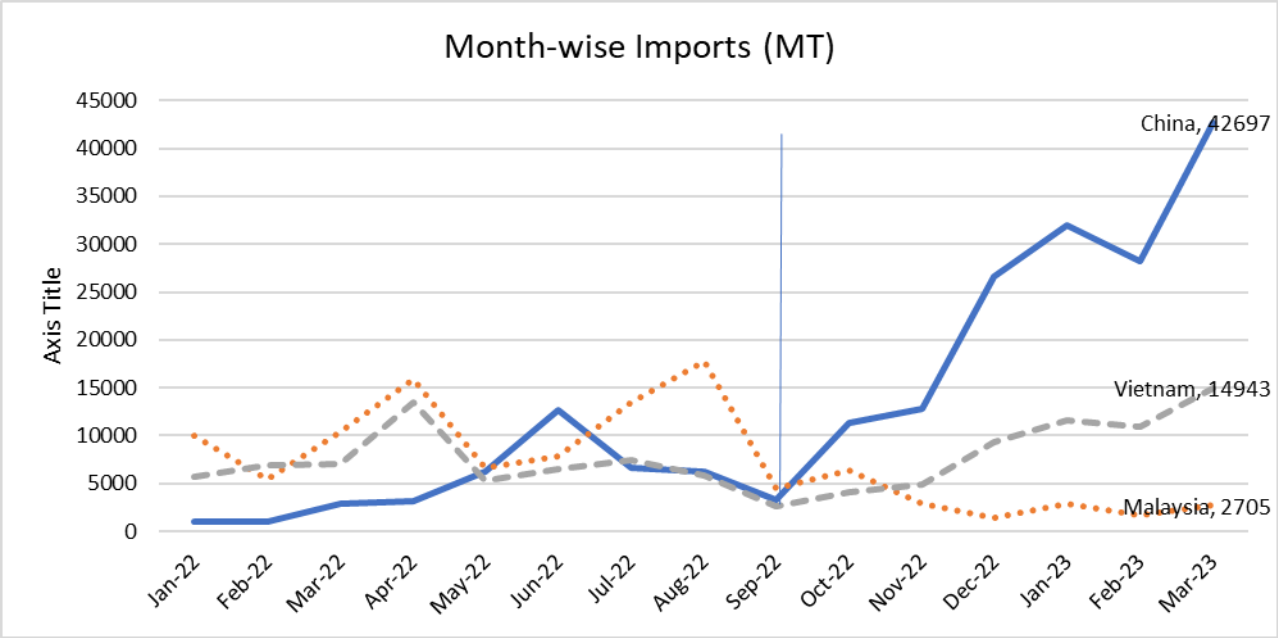


| राष्ट्र | जांच | शुल्क लगाने की तिथि | ड्यूटी समाप्ति |
|---|---|---|---|
| चीन | पाटन रोधी शुल्क | 18th August 2017 | 17th August 2022 |
| मलेशिया | पाटन रोधी शुल्क | 26th February 2019 | 25th February 2024 |
| मलेशिया | प्रतिकारी शुल्क | 9th March 2021 | 8th March 2026 |

77. उपरोक्त ग्राफ और तालिका से यह प्रतीत होता है कि चीन पीआर से विषय वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के बाद, वर्ष 2018-19 में चीन से विषय वस्तुओं की मात्रा में धीरे-धीरे गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान, मलेशिया से आने वाली वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हुई। इसके बाद, प्राधिकरण ने निर्धारित किया कि माल मलेशिया से फेंका जा रहा था और डीजीटीआर की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने मलेशिया के खिलाफ डंपिंग रोधी लागू किया। बाद में, मलेशिया के खिलाफ सब्सिडी-रोधी शुल्क भी लगाया गया। एक स्वाभाविक सवाल जो यहाँ उठ सकता है वह यह होगा कि डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के बावजूद, मलेशिया से मात्रा में वृद्धि जारी रही। इसी बात को इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि मलेशिया के एकमात्र भाग लेने वाले निर्यातक मेसर्स शिनयी सोलर को शून्य शुल्क मिला था। जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि मलेशिया से वस्तु आयात की लगभग पूरी मात्रा गैर-डंप कीमतों पर भारत में प्रवेश कर रही थी, इस तथ्य को देखते हुए कि मलेशिया में वस्तु वस्तुओं का केवल एक ही उत्पादक था।

78. हालांकि, मार्च 2021 में मेसर्स शिनयी सोलर सहित मलेशिया के निर्यातकों/उत्पादकों के खिलाफ काउंटरवेलिंग शुल्क लगाए जाने के बाद, मलेशिया से आने वाली वस्तुओं की मात्रा में गिरावट आई। इस बात पर जोर दिया जाता है कि यह वह अवधि थी जिसमें मलेशिया के साथ-साथ चीन पीआर दोनों के आयात के खिलाफ व्यापार उपचारात्मक शुल्क मौजूद थे। चीन पीआर से आयात की मात्रा पिछले पांच वर्षों में 2021-22 में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। मलेशिया से आयात में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इसी अवधि में, वियतनाम से विषय आयात की मात्रा में अचानक और महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। वियतनाम से आयात की मात्रा 2020-21 में 656 एमटी से बढ़कर 2021-22 में 78,093 एमटी हो गई।

79. इसके बाद, चीन पीआर के खिलाफ एंटी-डंपिंग कर्तव्यों को रद्द करने और मलेशिया के खिलाफ एंटी-डंपिंग कर्तव्यों के अस्तित्व के साथ, चीन पीआर से विषय आयात की मात्रा में लगभग 600% की उल्कापिंड वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मलेशिया से विषय आयात की मात्रा में गिरावट जारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन पीआर से विषय आयात के खिलाफ एंटी-डंपिंग शुल्क बंद होने के बाद मलेशिया से विषय आयात को चीन पीआर से विषय आयात द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। घरेलू उद्योग के अनुसार, तीनों देशों के बीच यह परस्पर क्रिया इस तथ्य से भी निकटता से चिह्नित है कि इन देशों में उत्पादक/निर्यातक संबंधित चीनी संस्थाएं हैं और निर्णय लेने का काम उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि किसी अन्य इच्छुक पक्ष ने व्यापार प्रवाह में इस तरह के निरंतर परिवर्तन के लिए कोई अन्य आर्थिक तर्क नहीं दिया है। अभिलेख पर तर्क और उपलब्ध जानकारी तीनों देशों के बीच परस्पर संबंध की ओर संकेत करती है।

80. हालांकि, जहां तक घरेलू उद्योग के इस आरोप का संबंध है कि मलेशिया से विषय आयात के खिलाफ शुल्क जारी नहीं रखने की स्थिति में, चीन पीआर के खिलाफ एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने की स्थिति में मलेशिया से आयात का पालन किया जाएगा, प्राधिकरण ने नोट किया कि जहां तक मलेशिया के माध्यम से चीन के आयात के डायवर्जन का संबंध है, घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँ विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए अटकलें लगती हैं कि मलेशिया से सभी आयात मूल जांच में अन-डंपिंग पाए गए थे और वर्तमान में गैर-डंपिंग कीमतों पर भारत में भी प्रवेश कर रहे हैं। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग शुल्क को बंद करने के बाद भी मलेशिया से सभी विषय आयात अधिसूचना संख्या के संदर्भ में काउंटरवेलिंग शुल्क के अधीन रहेंगे। 3/2021 (CVD) दिनांक 9 मार्च 2021.

**घ. जनहित विश्लेषण**

**घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ**

81. विषय वस्तु सौर मॉड्यूल में उपयोग किए जाने वाले घटकों में से एक है जिसमें 40% मूल सीमा शुल्क है, हालांकि, विषय वस्तु में शून्य मूल सीमा शुल्क है। विशेष रूप से, विषय वस्तु सौर मॉड्यूल की लागत का एक बहुत छोटा हिस्सा है, यानी लगभग 6%। इसके अतिरिक्त, एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव, यदि विषय वस्तुओं पर लगाया जाता है, तो मॉड्यूल लागत का केवल 1.50% होगा। विषय वस्तुओं पर शुल्क के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय सौर मॉड्यूल की कीमतों में पिछले एक वर्ष में लगभग 40% का परिवर्तन हुआ है, और इस प्रकार, अंतिम उत्पादों की कीमतों में परिवर्तन के इस स्तर पर 1.50% परिवर्तन महत्वहीन है। बिजली की प्रति इकाई लागत पर प्रभाव के संदर्भ में, विषय वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव रु। 0.016 प्रति यूनिट बिजली की न्यूनतम कीमत रु। अंतिम उपभोक्ता को 6.00 प्रति यूनिट। इस प्रकार, मॉड्यूल मूल्य पर 0.27% का प्रभाव या रु। 0.016 प्रति यूनिट एंटी-डंपिंग ड्यूटी के कारण बहुत महत्वहीन है।

**अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ**

82. इस संबंध में किसी अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा कोई टिप्पणी नहीं दी गई है।

**प्राधिकरण द्वारा जाँच**

83. प्राधिकरण विधिवत नोट करता है कि यदि वस्तु वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया जाता है तो अंतिम उपयोगकर्ताओं पर इसका प्रभाव बहुत कम होगा। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि वर्तमान जांच में विषय देश भारत में विषय वस्तुओं को डंप नहीं कर रहा है।

**पाटन और क्षति की संभावना पर निष्कर्ष**

84. उपलब्ध जानकारी पर विचार करते हुए, और अभिलेख पर साक्ष्य की उचित जांच के बाद, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष निकालता हैः

i. विषय देश से संपूर्ण आयात एकमात्र उत्पादक i.e. द्वारा किया गया है। शिनयी सोलर, पी. ओ. आई. में मलेशिया के साथ-साथ विषय जांच में पिछले तीन वर्षों में। स्पष्ट रूप से, उक्त सहकारी उत्पादक से इन आयातों को फेंका नहीं गया है।

ii. मूल जांच में भी, उक्त निर्माता को डंपिंग नहीं करते हुए पाया गया था।

iii. चूंकि विषय देश से कोई डंपिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसके जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना एक दूरस्थ संभावना प्रतीत होती है।

iv. जहां तक यह तर्क है कि शिनयी सोलर, मलेशिया ने विषय वस्तुओं के लिए अपनी क्षमताओं का प्रमुख रूप से विस्तार किया है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि उक्त उत्पादक द्वारा किसी भी अतिरिक्त क्षमता के कारण संभावना असंगत हो जाती है क्योंकि इसे डंपिंग नहीं पाया गया है।

v. जहां तक नए उत्पादक, अर्थात् एनएसजी समूह द्वारा क्षमताओं की स्थापना के संबंध में घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियों का संबंध है और यह कि उसने नवंबर 2023 से उत्पादन शुरू कर दिया है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि चूंकि उक्त उत्पादक ने जांच अवधि में विषय वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है, इसलिए निर्यात की संभावना और भविष्य में इस तरह से अधिक डंप करने के बारे में कोई भी निष्कर्ष सबसे अच्छा होगा।

**ठ. पोस्ट डिसक्लोज़र एनालिसिस**

85. इच्छुक पक्षों से प्रकटीकरण के बाद की प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुई हैं और उनका विश्लेषण निम्नानुसार किया गया हैः

**अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियां**

86. इच्छुक पक्षों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दींः

i. सहकारी निर्माता/निर्यातक i.e., Xinyi सोलर मलेशिया ने प्रकटीकरण बयान में प्राधिकरण के प्रस्तावों पर पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। इसने प्राधिकरण से खुलासा बयान में शिनयी सोलर (मलेशिया) एसडीएन बीएचडी, मलेशिया के संबंध में डंपिंग मार्जिन के निर्धारण के आधार पर अंतिम निष्कर्ष जारी करने का अनुरोध किया है।

ii. अन्य के संबंध में, सहयोगी उत्पादक/निर्यातक ने प्राधिकरण से उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की जांच करने का अनुरोध किया।

**घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियाँः**

87. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दींः

i. संयंत्र, मशीनरी उपभोग्य सामग्रियों और स्पेयर पार्ट्स के उचित मूल्यांकन को उत्पादन लागत में उचित रूप से समायोजित नहीं किया गया था और इसलिए परीक्षण का सामान्य पाठ्यक्रम (ओसीटी) और सामान्य मूल्य सही नहीं होगा और इसलिए एडी नियमों के अनुलग्नक 1 के संदर्भ में गणना नहीं की जा सकती है।

ii. प्राधिकरण ने संयंत्र और मशीनरी के मूल्य की शुद्धता के संबंध में निर्यातक से प्रमाणन के लिए नहीं कहा। घरेलू उद्योग ने मलेशिया की मूल्यांकन एजेंसी के नाम भी दिए हैं। चूंकि शिनयी मलेशिया ने चीन से मशीनरी खरीदी थी, इसलिए उनकी लागत मशीनरी के उचित मूल्यांकन से कम है और तदनुसार, उनका मूल्यह्रास और ब्याज लागत वास्तविक नहीं है और वास्तविक बाजार मूल्यों को दर्शाती है जैसा कि एडी नियमों के अनुलग्नक 1 में परिकल्पना की गई है। घरेलू उद्योग ने भी मशीनरी की खरीद के आधार पर अनुमानित मूल्यह्रास लागत प्रदान की है और प्राधिकरण से निर्यातक की उत्पादन लागत में प्रति मीट्रिक टन मूल्यह्रास की जांच करने का अनुरोध किया है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि शिनयी मलेशिया के डेटा/जानकारी की स्वीकृति को माननीय सीईएसटीएटी में चुनौती दी गई है, जिसमें आदेश सुरक्षित हैं। प्राधिकरण को अपनी सिफारिशें करते समय इस पहलू पर विचार करना चाहिए।

iii. घरेलू उद्योग ने सबूत दिए कि शिनयी ग्लास इंडिया विषय वस्तुओं के विपणन और बिक्री में शामिल है, जिससे निर्यातक ने इनकार नहीं किया। प्राधिकरण ने भारत में शिनयी ग्लास इंडिया के संचालन के संबंध में डी. आई. की दलीलों पर विचार नहीं किया। डी. आई. ने शिनयी ग्लास इंडिया को उनके निर्यात मूल्य और भूमि मूल्य की गणना करते समय बिक्री, विपणन और पारिश्रमिक में किए गए खर्चों में कटौती करने का अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, डी. आई. ने प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह गलत घोषणा के लिए शिनयी के खिलाफ अवशिष्ट कर्तव्यों की सिफारिश करे।

iv. चीनी और मलेशियाई वस्तुओं पर शुल्क ने भारतीय उत्पादकों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने में मदद की है। हालांकि, आयात की कीमतें घरेलू उद्योग की लागत से कम हैं। डंपिंग रोधी शुल्क लगाने से भारतीय उत्पादकों को वैकल्पिक बाजार खोजने का मौका मिला, मलेशिया और वियतनाम में निवेश ने घरेलू उद्योग की प्रस्तुतियों का समर्थन किया।

v. यह तथ्य कि जांच की अवधि के दौरान मलेशिया में केवल एक ही उत्पादक है, जिसका डंपिंग मार्जिन नकारात्मक हो सकता है, इसका कोई कानूनी परिणाम नहीं है। संभावना विश्लेषण के उद्देश्य से, इस तथ्य के संदर्भ के बिना स्थिति पर विचार करना उचित होगा कि पीओआई के दौरान एकल उत्पादक के पास शून्य डंपिंग मार्जिन था।

vi. घरेलू उद्योग ने एक अन्य निर्माता, एनएसजी सोलर ग्लास के उत्पादन शुरू करने के प्रमाण प्रदान किए हैं, जो डंपिंग और चोट की संभावना के निष्कर्ष का समर्थन करता है। मलेशिया में नए निवेश सब्सिडी और प्रोत्साहन लेने के बाद ही चालू हुए हैं। एनएसजी समूह (निप्पॉन) ने नवंबर 2023 में परिचालन शुरू किया और पहले ही सब्सिडी के लिए बातचीत कर चुका है। शुल्कों का निरसन घरेलू उद्योग, अन्य घरेलू उत्पादकों और आगामी क्षमताओं के लिए हानिकारक हो सकता है।

vii. घरेलू उद्योग ने 25% शुल्क के कारण 1% मॉड्यूल मूल्य वृद्धि या 1.60 पैसे प्रति यूनिट के साथ अंतिम उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क के न्यूनतम प्रभाव की भविष्यवाणी की है।

**प्राधिकरण द्वारा जाँच**

88. प्राधिकरण ने नोट किया कि प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियों के रूप में ऊपर दिए गए सभी कथन पहले ही उठाए जा चुके हैं और इन अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैराग्राफ में उचित रूप से संबोधित किए गए हैं। इच्छुक पक्ष ऐसे प्रासंगिक पैराग्राफ का उल्लेख कर सकते हैं।

**ड. निष्कर्ष**

89. इन अंतिम निष्कर्षों में दर्ज की गई दलीलों, प्रदान की गई जानकारी, प्रस्तुतियों और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और डंपिंग के निर्धारण और मौजूदा कर्तव्यों की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना के आधार पर, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला हैः

क. आवेदक घरेलू उत्पादक नियमों के नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग का गठन करता है और उनके द्वारा दायर आवेदन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

ख. विचाराधीन उत्पाद को सामान्य मूल्य से अधिक कीमतों पर भारत में निर्यात किया जाना जारी है, जिसके परिणामस्वरूप विषय देश से कोई डंपिंग नहीं होती है।

ग. वर्तमान मामले में, उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि मेसर्स शिनयी सोलर मलेशिया को छोड़कर विषय वस्तु का कोई अन्य निर्यातक/उत्पादक नहीं है, जिसके लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक पाया गया है, जिसका अर्थ है कि समग्र रूप से विषय देश का डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है। मूल जाँचमे सेहो कहल गेल एकमात्र उत्पादककेँ अन-डंप दाम पर भारतकेँ निर्यात करैत देखल गेल छल। ऐसी स्थिति में जहां न तो वर्तमान डंपिंग है और न ही डंपिंग की संभावना है, मौजूदा शुल्कों का विस्तार नहीं होता है।

**ढ. सिफारिश**

90. विभिन्न इच्छुक पक्षों की दलीलों की जांच करने और उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों और विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में वर्तमान का अभाव है और साथ ही घरेलू उद्योग को डंपिंग और नुकसान की संभावना है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण विषय देश से विषय वस्तुओं के आयात पर मौजूदा डंपिंग रोधी शुल्क का विस्तार करना उचित नहीं समझता है। इसलिए, एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 23.1 बी के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 ए (5) के संदर्भ में, नामित प्राधिकरण वर्तमान एंटी-डंपिंग कर्तव्यों का विस्तार नहीं करने की सिफारिश करता है।

**ण. आगे की प्रक्रिया**

91. इस अधिसूचना के खिलाफ अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष होगी।

**(अनन्त स्वरूप)**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**